न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–6/2018 (आरसीएमएस नं. 2018/00007)

1. पप्पूराम जाजोरिया पुत्र स्व. श्री बोदूराम, जाति रैगर निवासी प्लॉट नम्बर 29, हरदेव नगर (धाबास) अजमेर रोड़, जयपुर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार कालवाड़, तहसील जयपुर जिला जयपुर, राजस्थान।
2. श्रीमती सोनी देवी पत्नी स्व. श्री बोदूराम, जाति रैगर निवासी प्लॉट नम्बर 29, हरदेव नगर (धाबास) अजमेर रोड़, जयपुर राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 11.06.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उप तहसीलदार कालवाड़ तहसील जयपुर के आदेश दिनांक 04.12.2017 (प्रकरण संख्या 2/2017) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि स्व. बोदूराम पुत्र हरदेव, जाति रैगर निवासी ग्राम मुकन्दपुरा, तहसील व जिला जयपुर की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 140 रकबा 48 बीघा 5 बिस्वा में हिस्सा 1/4 खातेदारी में दर्ज है, बोदूराम का स्वर्गवास दिनांक 26.06.2003 को बमुकाम जयपुर में हो गया है, बोदूराम के पश्चात् अपीलान्ट उनका एकमात्र दत्तक पुत्र एवं अपीलान्ट की माता श्रीमती सोनीदेवी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। अतः इस अपीलान्ट व उसकी माता श्रीमी सोनीदेवी के नाम फौती नामान्तरकरण खोला जावे, इस आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के दर्ज कर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई, प्रार्थी का शपथ पत्र नोटेरी से प्रमाणित तथा गवाहान को समम्न जारी कर उनसे बयानादि, प्रमाणित शपथ पत्र के लिये गये, अपीलान्ट के काका रामचन्द्र, मामा शिवनारायण, मॉ सकुरीदेवी वगैरहा के शपथ पत्र लिये गये एवं अपीलान्ट को सुना गया सभी दस्तावेजात का मंथन किया जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने चूँकि श्री बोदूराम की मृत्यु दिनांक 26.06.2003 को हो गई थी व अपीलान्ट द्वारा लगभग 13 वर्ष पश्चात् नामान्तरकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है, श्री बोदूराम की मृत्यु तक प्रार्थी का गोदनामा नही करवाया गया, बोदूराम की मृत्यु के 13 वर्ष पश्चात् गोदनामा करवाया गया जिसमें गोदग्रहिता सोनी देवी एवं गोददात्री सेकुरी देवी है। अतः पप्पूराम जाजोरिया गोदनामा अनुसार श्रीमती सोनीदेवी का दत्तक पुत्र एवं उत्तराधिकारी हुआ। अतः हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार स्व.

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बोदराम की पत्नी श्रीमती सोनीदेवी प्राकृतिक वारिस होगी, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्रीमती सोनी देवी के हक में नामान्तरकरण खोलने के विधि विरूद्ध आदेश पारित किये गये है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि विधान संचिका पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य सबूतों के सर्वथा प्रतिकूल होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि हिन्दू विधि एवं हिन्दु दत्तक ग्रहण अधिनियम में कही भी गोदनामा पंजीबद्ध करवाना कानूनन आवश्यक नही है, हिन्दू दत्तक ग्रहण अधिनियम के अनुसार दत्तक लेने वाले व देने वाले की सहमति अर्थात देना व लेना स्वीकार हो, गोद लेने की रस्म अर्थात बतासे, नारियाल आदि बांटा जाकर सामाजिक रिति व प्रथा के अनुसार कार्यक्रम किया जाकर भी गोद लिया व दिया जा सकता है, उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा यह साबित किया गया है कि उसे सामाजिक रिति रिवाज अनुसार गोद लिया गया है लेकिन इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही कर मनमाने तौर पर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीानट द्वारा गोद जाने के पश्चात् उस समय से उसकी तमाम शैक्षणिक शिक्षा, सरकारी व गैरसरकारी दस्तावेजात में उसके पिता का नाम स्व. बोदूराम दर्ज चला आ रहा है, उक्त तमाम दस्तावेजात अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे जिनसे भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट स्व. श्री बोदूराम का दत्तक पुत्र है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजात पर विचार नही कर व उनको अस्वीकार करने का कोई कारण व आधार अपीलाधीन आदेश में उल्लेख नही कर व महत्वपूर्ण दस्तावेजात सबूतों को दरकिनार करके तथ्यों व साक्ष्यों के प्रतिकूल अविधिक आदेश दिया है, जो गैर कानूनी होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 06.02.2017 को पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 172 में पृष्ठ संख्या 81 के क्रम संख्या 201703016400036 पर पंजीबद्ध किया हुआ है, जो कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उक्त गोदनामें में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है कि उसके व उसके पति ने अपने जीनकाल में अपीलान्ट को बाल्याअवस्था में ही वर्ष 1976 मे समाज के समक्ष सकुरीदंवी व उसके पति रामनाथ की उपिस्थति में गोद ले लिया था व गोद लेने के पश्चात् अपीलान्ट की शिक्षा–दीक्षा, लालन–पालन, विवाह समारोह इत्यादि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व मृतक बोदूराम द्वारा ही की गई, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही मनमाना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की नकल प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 06.12.2017 को

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रस्तुत कर दिया गया जिस पर अपीलान्ट को नकल दिनांक 21.12.2017 को प्राप्त हुई, नकल प्राप्ति से अपील अन्दर मियाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार कालवाड़ तहसील जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2017 बउनवानी पप्पूराम जाजोरिया बनाम सरकार में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.12.20017 को अपास्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा ना ही उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार बोदूराम पुत्र हरदेव रहे है, जिनका स्वर्गवास दिनांक 26.06.2003 हो चुका है तथा प्रकरण मृतक खातेदार बोदूराम की विरासत का है लेकिन अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है जिससे वादग्रस्त आराजी के खातेदार बोदूराम द्वारा अपीलान्ट को गोद लिया जाना साबित होता हो, यदपि अपीलान्ट द्वारा खातेदार की पत्नी सोनीदेवी द्वारा अपीलान्ट को गोद लेने सम्बन्धि रजिस्टर्ड गोदनामा की छाया प्रतियॉ पेश की गई है लेकिन प्रकरण बोदूराम की विरासत का होने व मृतक खातेदार की प्राकृतिक वारिस उसकी पत्नी सोनीदेवी होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार की पत्नी सोनीदेवी के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किये गये जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार कालवाड़ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2017 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।